(वाद संख्या–2830/18)

04.02.2020

परिवादी, शम्भु दास, उपस्थित है।

परिवादी को सुना।

प्रसंगाधीन मामला पुरानी बाजार, झाझा, वार्ड नं0–21, जिला–जमुई के डा0 अभय सिंह (जिनका एक निजी क्लिनिक है) व तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक, विनोद कुमार रावत द्वारा परिवादी को उसके जाति के नाम से अपमानित करने तथा उसके ज्येष्ठ पुत्र, सौरभ कुमार की समुचित आकस्मिक चिकित्सा न करने के कारण उसकी मृत्यु हो जाने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जमुई के निर्देश पर चिकित्सकों की त्रिसदस्यीय जाँच समिति द्वारा परिवाद–पत्र में उल्लिखित तथ्यों के संबंध में बिन्दुवार जाँच की गयी। उक्त त्रिसदस्यीय समिति द्वारा समर्पित जाँच–प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के पुत्र, सौरभ कुमार को पुरानी बाजार, झाझा स्थित डा0 अभय बहादुर सिंह के क्लिनिक पर लाया गया जिसे डॉक्टर अभय सिंह द्वारा कतिपय कारणों से नहीं देखा गया। तत्पश्चात् परिवादी के पुत्र के लाने वाले एक सहयोगी द्वारा तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक श्री विनोद कुमार रावत को फोन कर डॉ0 अभय बहादुर सिंह पर दबाव डालने को कहा गया। इसी बीच आपस में गाली–गलौज करने में काफी समय बर्बाद हो गया तथा मरीज, सौरभ कुमार (परिवादी के पुत्र) ने दम तोड़ दिया। त्रिसदस्यीय जाँच दल द्वारा अपने जाँच–प्रतिवेदन में यह उल्लेखित किया गया है कि मरीज की स्थिति को देखते हुए उसे सरकारी अस्पताल में इमरजेन्सी में ले कर जाना चाहिए था, जहां इमरजेन्सी की उचित व्यवस्था है तथा चौबीसो घंटे एम्बुलेन्स की सुविधा भी उपलब्ध है। जांच प्रतिवेदन में यह भी उल्लेखित है कि परिवादी के पुत्र को लाने वाले उनके सहयोगियों द्वारा ही मरीज, सौरभ कुमार की समुचित चिकित्सा में लापरवाही बरती गयी है।

उपरोक्त त्रिसदस्यीय समिति के जाँच–प्रतिवेदन के आलोक में परिवादी द्वारा अपना प्रत्युत्तर समर्पित किया गया। आज सुनवाई के क्रम में परिवादी द्वारा सूचित किया गया कि घटना के समय वह जमुई में नहीं था। वह बिहार से बाहर था। उसके द्वारा आयोग को सूचित किया गया कि परिवाद–पत्र में उल्लिखित तथ्यों के सम्बन्ध में उसकी ओर से भा0द0स0 की धाराओं, 304/34/201/504 व अनु0जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की

Bihar Human Rights Commission, Patna

सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत विद्वान विशेष न्यायाधीश–सह–प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, जमुई के समक्ष एक परिवाद संख्या–1190सी0/17, दिनांक–24.08.2017 दाखिल किया गया था जिसे विद्वान विशेष न्यायाधीश द्वारा दिनांक–08.10.2018 को द0प्र0स0 की धारा 203 के प्रावधानानुसार खारिज कर दिया गया। परिवादी का यह भी कथन है कि दिनांक–08.10.2018 को उसके परिवाद पत्र को खारिज करने सम्बन्धी उक्त आदेश के विरूद्ध उसकी ओर से माननीय पटना उच्च न्यायालय में एक Criminal Revision No. 74877/18 दाखिल किया गया है, जो वर्त्तमान में सुनवाई हेतु लंबित है।

अब, जबकि समान आशय के परिवादी के परिवाद–पत्र में उल्लिखित तथ्यों पर माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जा रहा है तो ऐसी परिस्थिति में आयोग के स्तर पर प्रसंगाधीन मामले में कोई आदेश/निर्देश/अनुसंशा किया जाना उचित नहीं होगा। परिवादी माननीय न्यायालय से अनुतोष प्राप्त कर सकते है।

आयोग के स्तर पर प्रसंगाधीन मामले को बंद किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

ह0/–

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

सहायक निबंधक

Bihar Human Rights Commission, Patna